



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़, 1945 (श०)

संख्या - 414 राँची, शुक्रवार,

14 जुलाई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

28 जून, 2023

संख्या-5/आरोप-1-43/2019-21904 (HRMS)—मो० शाहंशाह अली खाँ (कोटि क्रमांक-98/20, द्वितीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2292, दिनांक 16.10.2019 के माध्यम से उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-468/स्था०, दिनांक 30.08.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में मो० खाँ के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप निम्नवत् है-

आरोप- प्रखण्ड कार्यालय, प्रतापपुर के अधीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान मो० शाहंशाह अली खाँ ने श्री श्यामल कुमार आयकत, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव, प्रतापपुर को सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धा पेंशन वितरण हेतु दिए गए अग्रिम एवं असमायोजित राशि 1074200/- के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लक्षित समुह को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। मो० खाँ के इस कृत्य से सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ। मो० खाँ का यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(3) के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1361, दिनांक 20.02.2020 द्वारा मो० खाँ से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में उनके पत्रांक-55, दिनांक 11.03.2020 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो० खाँ द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित किया गया कि उपायुक्त, चतरा द्वारा आरोप पत्र में उनका पदस्थापन दिनांक 21.02.2013 से 22.02.2013 तक बताया गया है। उक्त अल्प कार्य अवधि में उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है और न ही उपरोक्त विषय उनके संज्ञान में लाया गया है।

मो० खाँ के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2646, दिनांक 02.06.2020 एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-64, दिनांक 24.02.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि मो० खाँ का कार्यकाल दिनांक 21.02.2013 से 22.02.2013 (केवल दो दिन) तक था। यह भी प्रतिवेदित है कि मो० खाँ का जवाब संतोषजनक एवं स्वीकार्य है, चूँकि उनका कार्यावधि मात्र एक दिन का रहा है। संभवतः इस अल्प अवधि में शायद केवल प्रभार का अदान-प्रदान हुआ हो। अतः इनके समर्पित जवाब के आलोक में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।

मो० खाँ के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, चतरा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत मो० शहंशाह अली खाँ, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा को आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SHAHANSHAH ALI KHAN 20080400098	मो० शहंशाह अली खाँ (कोटि क्रमांक-98/20, द्वितीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर संप्रति- मुख्य प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो० शहंशाह अली खाँ, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
